दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

मई 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- ई-पेंशन पोर्टल 3
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 3
- मालन नदी का पुनरुद्धार 4
- ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंज़ूरी 4
- यूपी के सभी ज़िलों में बनेंगे ड्रग वेयरहाउस 4
- उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जल्द शुरू होंगे ई-लर्निंग पार्क 5
- उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में विकसित होंगी हाईटेक नर्सरी 5
- ताजमहल विवाद संबंधी याचिका पुन: दाखिल 6
- लखनऊ, नोएडा व गाजियाबाद समेत 15 शहरों में बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क 6
- भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा 6
- वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र होंगे प्रदेश के नए महाधिवक्ता 7
- थारू जनजाति संग्रहालय 7
- ज्ञानवापी मस्जिद विवाद 8
- राज्य में 250 स्थानों पर स्थापित होंगे प्लास्टिक कचरे के संग्रह केंद्र 9
- रामपुर में बना भारत का पहला अमृत सरोवर 9
- रिवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम 10
- फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट 10
- बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के लिये पंचवर्षीय कार्ययोजना/रोडमैप 11
- नेवा सेवा केंद्र 11
- खिड़किया (नमो) घाट पर बनेगा देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल 11
- उत्तर प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 12
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 12
- आमागढ़ लेपर्ड रिज़र्व 13
- बटागुर कछुआ 13
- गंगा के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देगी सरकार 13
- उत्तर प्रदेश सरकार को मिला 'माइन मित्र' से 400 करोड़ रुपए का राजस्व 14
- उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 14
- उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्ट्री, 2022 के विशेष अंक का विमोचन 15
- बस्ती का नाम होगा 'वशिष्ठ नगर' 16
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 16

नोट :

उत्तर प्रदेश

ई-पेंशन पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानीमुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिये एक नया मंच ई-पेंशन पोर्टल शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

- पोर्टल के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एंड-टू-एंड ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये वित्त विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- यह पेंशनभोगियों को शारीरिक रूप से कहीं भी जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और प्रक्रिया को पारदर्शी, कागज़रहित, संपर्करहित और कैशलेस बनाएगा।
- सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पोर्टल उनके आवेदनों (पीपीओ) की स्थिति को ट्रैक करेगा।
- केंद्र सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के वित्त विभाग ने पोर्टल बनाया है, जिसमें 59 वर्ष छह महीने की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को ट्रैक करने का विकल्प होगा। इससे राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
- यह प्रणाली राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये लागू की गई है और जल्द ही अन्य विभाग भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा और किसी को भी पेंशन के लिये भागना नहीं पड़ेगा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

चर्चा में क्यों ?

30 अप्रैल, 2022 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अगले जून में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 19 में से 14 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बेतवा और यमुना नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम भी पूरा हो चुका है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किमी. है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुज़रेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के ज़रिये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़ जाएगा।

नोट :

मालन नदी का पुनरुद्धार

चर्चा में क्यों ?

3 मई, 2022 को बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा द्वारा मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर डीएम मिश्रा ने बताया कि मालन के किनारे समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी, जिसका साक्ष्य यहाँ से मिली मूर्तियाँ, शिवलिंग एवं विभिन्न वस्तुओं के अवशेष हैं, जिन्हें मयूरेश्वर नाथ महादेव बाबा धाम मंदिर में सहेजकर रखा गया है।
- इस नदी के किनारे ही कण्व आश्रम के साथ-साथ राजा मोरध्वज का किला भी अवस्थित था।
- गौरतलब है कि मालन नदी, जिसे प्राचीन काल में मालिनी कहा जाता था, का उद्गम पौड़ी ज़िले की चंडा पहाड़ियों से माना जाता है।
- उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलने वाली यह नदी मैदान में आकर नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। बिजनौर में हल्दूखाता से प्रवेश करने के बाद यह नदी ज़िले में 53 किमी. की यात्रा करने के बाद गंगा में मिल जाती है।

ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह कॉरिडोर 380 किमी. लंबा होगा और 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने के बाद गाज़ियाबाद, हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से जुड़े लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
- यह कॉरिडोर लखनऊ से कानपुर के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे को उन्नाव और कानपुर के बीच में कनेक्ट करेगा, जबकि गाजियाबाद और हापुड़ में मौज़ूदा मेरठ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा।
- नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। यह काम दिसंबर 2023 तक पूरा होगा और उसके बाद 24 महीने में प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा।
- इस प्रोजेक्ट को गाज़ियाबाद/ हापुड़-कानपुर/ उन्नाव ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है।
- एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शुरू होने जा रहा है, जो बीच में लखनऊ जाने वाले एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा, जिससे काफी ट्रैफिक गंगा एक्सप्रेसवे पर जाएगा, इसलिये शुरुआत में गाज़ियाबाद-कानपुर के बीच चार लेन का ही कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बाद में ट्रैफिक बढ़ने पर इसे आठ लेन तक बढ़ाया जाएगा।
- गौरतलब है कि अंडरपास, फ्लाईओवर और सर्विस रोड का निर्माण छह लेन के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की तर्ज़ पर किया जाएगा।
- इस कॉरिडोर के बनने से गाज़ियाबाद और नोएडा की सड़कों से वाहनों का दबाव कम होगा।
- उल्लेखनीय है कि हापुड़ से कानपुर तक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2019 में की थी।

यूपी के सभी ज़िलों में बनेंगे ड्रग वेयरहाउस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक (डीजीएमई) डॉ. एन.सी. प्रजापति ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में ड्रग वेयरहाउस स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्ययोजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत आने वाले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के आठ ज़िलों- रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, शाहजहाँपुर, औरैया, फर्रुखाबाद और संभल में 25 दवा गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा।
- डॉ. प्रजापति ने बताया कि इन दवा गोदामों का नियंत्रण और इन दवा गोदाम में दवाओं की आपूर्ति सीधे लखनऊ स्थित डीजी कार्यालय द्वारा की जाएगी।
- इससे ग्राम स्तर पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में दवाओं का पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जल्द शुरू होंगे ई-लर्निंग पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये एक नई पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के 120 डिग्री कॉलेजों में ई-लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने बताया कि राज्य में 87 ई-लर्निंग पार्क स्थापित करने का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है और शेष पार्कों का काम अगले 100 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। ये ई-लर्निंग पार्क एक डिजिटल लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और वाई-फाई से लैस होंगे।
- अगले 100 दिनों में ही ABACUS-UP पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के विभिन्न पहलुओं को जोड़ा जाएगा।
- राज्यस्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABACUS-UP पोर्टल NEP (नई शिक्षा नीति) का हिस्सा है। इसी संदर्भ में NEP-20 के तहत आने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को ABACUS-UP पोर्टल पर छात्रों और शिक्षकों का डेटा अपलोड करने के लिये कहा गया है।

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में विकसित होंगी हाईटेक नर्सरी

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2022 को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास के अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में दो-दो हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- इन निर्देशों के तहत ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 100 दिनों के भीतर फल एवं चयनित सब्जिज़ों के पौधे उगाने के लिये 150 हाईटेक नर्सरी विकसित करेगा।
- प्रत्येक नर्सरी की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए होगी और एक नर्सरी हर साल लगभग 15 लाख पौधे पैदा करेगी।
- हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इज़रायली तकनीक के तहत हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएगी।
- मनरेगा योजना के तहत विकसित हाईटेक नर्सरी का रखरखाव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से किया जाएगा।
- मनरेगा योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों/ग्राम संगठन/क्लस्टर स्तरीय महासंघ के सदस्यों की सामूहिक भूमि (विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार) पर नर्सरी विकसित की जाएगी।

नोट :

ताजमहल विवाद संबंधी याचिका पुनः दाखिल

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर ताजमहल के इतिहास का सच सामने लाने की मांग की गई है।

प्रमुख बिंदु

- याचिका में यह भी कहा गया है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलकर जाँच कराई जाए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान शंकर का मंदिर था, जिसे तोड़कर ताजमहल बना दिया गया।
- इसके साथ ही यह भी मांग की गई है कि 1951 और 1958 में बने कानूनों, जिनमें ताजमहल, फतेहपुर सीकरी के किले व आगरा के लाल किले को ऐतिहासिक इमारत घोषित किया गया है, को भी संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध घोषित किया जाए।
- यह याचिका इतिहासकार पी.एन. ओक की किताब 'ताजमहल' को आधार बनाकर दाखिल की गई है, जिसके अनुसार ताजमहल वास्तव में तेजोमहालय है, जिसका निर्माण 1212 ई. में राजा परमार्दिदेव द्वारा कराया गया था तथा जयपुर के राजा मानसिंह ने इसका संरक्षण किया था किन्तु बाद में मुगल शासक शाहजहाँ ने राजा मानसिंह से इसे हड़प लिया था।
- गौरतलब है कि वर्ष 2015 में आगरा सिविल कोर्ट में भी ताजमहल को 'भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजोमहालय' घोषित करने की याचिका दाखिल की गई थी, जिसका आधार बटेश्वर में मिले राजा परमार्दिदेव के शिलालेख को बनाया गया था।
- हालाँकि वर्ष 2017 में केंद्र सरकार व भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने प्रतिवाद-पत्र दाखिल कर ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने या उसे तेजोमहालय मानने से इनकार कर दिया था।

लखनऊ, नोएडा व गाजियाबाद समेत 15 शहरों में बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क

चर्चा में क्यों ?

8 मई, 2022 को मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर राज्य को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिये 15 शहरों में निजी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में 'प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क' (पीआईपी) बनाने के लिये चिह्नित ज़िलों में योजना का खाका तैयार कर लिया गया है।
- इस योजना के प्रारंभिक चरण में पीआईपी के दायरे में आने वाले उद्योगों में वस्त्र उद्योग (टेक्सटाइल), रेडीमेड कपड़े, खाद्य प्रसंस्करण, इत्र, पीतल उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उद्योग शामिल हैं।
- इसके तहत चिह्नित किये गए ज़िलों में लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर, जालौन, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, आज़मगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और प्रयागराज शामिल हैं।
- राज्य में पीआईपी का विकास उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीसी) के सहयोग से किया जाएगा।
- इसी संदर्भ में प्रदेश के पहले पीआईपी के लिये उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के किनारे ज़मीन चिह्नित कर ली गई है।

भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने और खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को ग्रेड-1 सरकारी अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को अपनाकर भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 6 जनवरी, 2022 को अध्यादेश जारी किया गया था।
- संस्कृति विभाग द्वारा वित्त पोषित भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय वर्तमान में शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विषयों में शिक्षण के लिये स्थापित है।
- दूसरे निर्णय में राज्य मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की सीधे 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु 'उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम, 2022' की घोषणा के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
- ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह, पंचायती राज, युवा कल्याण, परिवहन, वन और राजस्व जैसे नौ अलग-अलग विभागों के हैं।
- ये सभी पद लोक सेवा आयोग के दायरे में हैं और नियुक्तियाँ आयोग की सहमति के बाद की जाएंगी। इसके लिये कार्मिक विभाग ने 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यों का परिसीमन) विनियम, 1954' अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये हैं।
- जिन पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी, उनमें बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार और डिप्टी एसपी शामिल हैं।
- खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप के साथ-साथ पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता इन पदों के लिये पात्र होंगे। साथ ही व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र होंगे प्रदेश के नए महाधिवक्ता

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्र को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बीते 7 मई को राज्य सरकार को 16 मई तक नया महाधिवक्ता नियुक्त करने का समय दिया था।
- गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करना होता है, बल्कि उन्हें सीआरपीसी, अवमानना कानून का भी निर्वहन करना होता है. साथ ही अन्य कानूनी दायित्व भी निभाने होते हैं।
- इन दायित्वों को किसी अतिरिक्त महाधिवक्ता या अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसे में महाधिवक्ता का पद संविधान के अनुसार खाली नहीं रखा जा सकता।
- गौरतलब है कि महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने एक महीने पहले अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था।
- अजय मिश्र पूर्व न्यायमूर्ति श्रीरंग मिश्र के पुत्र और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र के बड़े भाई हैं। वे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता का दायित्व निभा रहे हैं।

थारू जनजाति संग्रहालय

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि बलरामपुर ज़िले के थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गाँव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय 'थारू जनजाति संग्रहालय' बनकर तैयार हो गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन-शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में फैला हुआ है।
- इस संग्रहालय में थारु जनजाति के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। यह उनके विकास से लेकर समकालीन समय में उनके जीवन तक, विविध विवरणों को समाहित करेगा। इसके अलावा संग्रहालय उनकी संस्कृति, धर्म, परम्परा, जीवन-शैली और सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डालेगा।
- बलरामपुर में निर्मित आदिवासी संग्रहालय की तर्ज़ पर राज्य सरकार ने लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी आदिवासी संग्रहालय स्थापित करने की कार्ययोजना बनाई है।
- इसके अलावा कन्नौज ज़िले में बच्चों के लिये भी एक संग्रहालय बनाया जाएगा।
- संस्कृति विभाग द्वारा सरकारी अभिलेखागार, लखनऊ में स्वतंत्रता की गाथा पर आधारित एक गैलरी 'आज़ादी की गौरवगाथा' के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है।
- गौरतलब है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे उन्नत जनजातियों में से एक है। इनके द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है।
- थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद

चर्चा में क्यों ?

12 मई, 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मस्जिद के सर्वे के लिये नियुक्त किये गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार करने के साथ ही 17 मई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे कराने का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रचलित मान्यता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण सन् 1669 में मुगल शासक औरंगज़ेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर करवाया था। उल्लेखनीय है कि साकिब खाँ की पुस्तक 'यासिर आलमगीरी' में इस बात का उल्लेख भी है कि औरंगज़ेब ने 1669 में गवर्नर अबुल हसन को हुक्म देकर मंदिर को तोड़वा दिया था।
- ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत तीन लोगों ने वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक मुकदमा दायर कर दावा किया था कि औरंगज़ेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बना दी इसलिये यह ज़मीन उन्हें वापस लौटाई जाए।
- वहीं 18 अगस्त, 2021 को वाराणसी की ही अदालत में 5 महिलाओं ने माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा-अर्चना की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिये एक कमीशन का गठन किया।
- इसी संदर्भ में कोर्ट द्वारा श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा था, जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वे के लिये नियुक्त किये गए कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किये गए थे।
- हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट में सबूत के तौर पूरे ज्ञानवापी परिसर का नक्शा प्रस्तुत किया है, जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद चारों ओर हिंदू-देवताओं के मंदिरों का ज़िक्र है, साथ ही इसमें विश्वेश्वर मंदिर, ज्ञानकूप, बड़े नंदी तथा व्यास परिवार के तहखाने का उल्लेख है। इसी तहखाने के सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
- वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के धर्मस्थल कानून के तहत इस विवाद पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है।
- गौरतलब है कि उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 3 के तहत पूजास्थल, यहाँ तक कि उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के पूजास्थल में परिवर्तित करने को प्रतिबंधित किया गया है।

नोट :

- इस अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कि पूजास्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने से संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाइयाँ (जो 15 अगस्त, 1947 तक लंबित थीं) इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएंगी और ऐसे मामलों पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
- हालाँकि यदि पूजास्थल की प्रकृति में बदलाव 15 अगस्त, 1947 (अधिनियम के लागू होने के बाद) की कट-ऑफ तारीख के बाद हुआ हो, तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अयोध्या के विवादित स्थल (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद) को इस अधिनियम से छूट दी गई थी।

राज्य में 250 स्थानों पर स्थापित होंगे प्लास्टिक कचरे के संग्रह केंद्र

चर्चा में क्यों ?

13 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गाँवों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में राज्य में 250 स्थानों पर प्लास्टिक कचरे के संग्रह केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि पंचायती राज विभाग अगले छह महीने में विकासखंडों में स्थलों के चयन और निर्माण के लिये कार्ययोजना तैयार कर रहा है ताकि वहाँ कचरा प्लास्टिक संग्रह केंद्र स्थापित किया जा सके।
- प्लास्टिक के दुष्परिणामों को देखते हुए राज्य सरकार ने शहरों के साथ-साथ गाँवों को भी प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल की है। इसके साथ ही सरकार ने सड़क निर्माण के लिये अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करने की योजना भी बनाई है।
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे के प्रसार को रोकने और प्लास्टिक कचरे के लिये अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर देता है।
- नए नियम के तहत प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिये स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, कचरा उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं और फुटपाथ विक्रेताओं की ज़िम्मेदारी होगी।
- गौरतलब है कि प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, यह भूमि की उर्वरता को नष्ट करके भूजल स्तर को कम करता है। इसके इस्तेमाल से साँस और चर्म रोगों के साथ-साथ कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। यह भ्रूण के विकास को भी रोक सकता है।
- पॉलीथिन जलाने से निकलने वाला धुआँ ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है।

रामपुर में बना भारत का पहला अमृत सरोवर

चर्चा में क्यों ?

13 मई, 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकबी एवं उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले 'अमृत सरोवर' का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया।

प्रमुख बिंदु

- रामपुर के पटवाई में 3115 वर्ग मी. के इस भव्य सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से किया गया है।
- इस सरोवर में फूड कोर्ट तथा नौका विहार के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।
- अतिक्रमण और डंपिंग के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहे इस सरोवर के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने किया था।
- गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल संरक्षण के लिये अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक ज़िले में 75-75 सरोवर बनाने का निर्णय लिया गया है।

नोट :

रिवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा सचिव और यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने बताया कि भारत सरकार द्वारा रिवैंपड वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत मीटरिंग और अन्य संबंधित कार्यों के लिये निर्धारित धनराशि के माध्यम से पूरे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने हेतु राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- UPPCL द्वारा यह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का उद्देश्य सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करना है।
- इसके तहत यूपीपीसीएल वाराणसी डिस्कॉम में 73,27,988 स्मार्ट प्रीपेड मीटर, लखनऊ डिस्कॉम में 75,28,737, आगरा डिस्कॉम में 53,54,069, मेरठ डिस्कॉम में 61,43,361 और केईएससीओ वितरण नेटवर्क में 62,500 मीटर स्थापित करेगी।
- 'एकीकृत बिजली विकास योजना', 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' और 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' जैसी सभी मौजूदा बिजली क्षेत्र सुधार योजनाओं को मिलाकर एक अंब्रैला योजना रिवैंपड वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) प्रारंभ की गई है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत वित्त निगम इस योजना के लिये नोडल एजेंसी हैं।
- इस योजना में वितरण क्षेत्र में बिजली फीडर से लेकर उपभोक्ता स्तर तक एक अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना तथा असंबद्ध फीडरों के लिये फीडर पृथक्करण हेतु वित्तपोषण करना शामिल है।
- इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों (अक्षम बिजली व्यवस्था के कारण परिचालन हानि) को 12-15% तक कम करना।
- आधुनिक डिस्कॉम्स के लिये संस्थागत क्षमताओं का विकास करना।

फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की गई एक अभिनव पहल 'फूड फॉरेस्ट'के अंतर्गत विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के पंद्रह ज़िलों की पहचान की गई है, जहाँ खाद्य वन विकसित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना के लिये जिन ज़िलों की पहचान की गई है, उनमें आम की पटी के बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर तथा अमरूद के संभल, रामपुर और बदायूँ आदि शामिल हैं। इसी प्रकार अन्य ज़िलों बुलंदशहर, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतमबुद्ध नगर में भी फल पौधे रोपे जाएंगे।
- खाद्य वन में पौधों का चयन कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिये दलहनी फसलों को भी लगाया जाएगा।
- पूड कोर्ट के माध्यम से सरकार का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। यह धान-गेहूँ की पारंपरिक खेती की बजाय कृषि विविधीकरण से ही संभव है।
- उदाहरण के लिये गोरखपुर में विकसित होने वाले खाद्य वन के प्रथम चरण में आम, अमरूद, अनार और पपीते के पौधे रोपे जाएंगे। दूसरे चक्र में जामुन, बेर के पौधे रोपे जाएंगे। तीसरे चक्र में अरहर, मूंग, उड़द, मटर और चना बोया जाएगा।

नोट :

बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के लिये पंचवर्षीय कार्ययोजना/रोडमैप

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिये 5 वर्ष की कार्ययोजना/रोडमैप निर्धारित किया और निर्धारित समय सीमा के भीतर 17 क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और परीक्षण प्रयोगशालाएँ खोलने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये 45 इक्वेशन केंद्र स्थापित करने के साथ ही 11 मेगा फूड/एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस रोडमैप के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 41,336 इकाइयाँ स्थापित/उन्नत की जाएंगी। इस योजना के तहत ज़िले के लिये चयनित ओडीओपी के अनुसार 70 प्रतिशत मौजूदा उद्यमों का उन्नयन/विस्तार किया जाएगा और 30 प्रतिशत नए उद्यम स्थापित किये जाएंगे।
- वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 375 बड़ी इकाइयाँ स्थापित करने संबंधी प्रावधान को भी इस रोडमैप में शामिल किया गया है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, फूड प्रोसेसिंग और परिरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण जैसी परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।

नेवा सेवा केंद्र

चर्चा में क्यों ?

19 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की उपस्थिति में विधान भवन स्थित नवीनीकृत पिक्चर गैलरी और नेवा (राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- नेवा (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) सेवा केंद्र में विधानसभा सदस्यों, विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को ई-विधान संबंधित कार्यों पर उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- नेवा एनआईसी क्लाउड, 'मेघराज'पर आधारित एक कार्य-प्रवाह प्रणाली है, जो ई-सदन/कागज़रहित सदन की अवधारणा को मूर्तरूप प्रदान करती है।
- नेवा एक उपकरण तटस्थ और सदस्यकेंद्रित एप्लिकेशन है, जो सदस्य संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित/अतारांकित प्रश्न और उत्तर, कागज़ात के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने तथा विविध हाउस बिज़नेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिये तैयार किया गया है।
- गौरतलब है कि नागालैंड विधानसभा नेवा लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा है।

खिड़किया (नमो) घाट पर बनेगा देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि खिड़किया घाट पर स्मार्ट सिटी की ओर से गंगा की लहरों के बीच फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- वाराणसी के घाटों पर गंगा स्नान के महात्म्य को देखते हुए स्मार्ट सिटी मानसून के बाद खिड़किया (नमो) घाट में यह पूल तैयार करेगा।
- यहाँ महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिये अलग-अलग पूल के साथ ही चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे।
- यदि गंगा की लहरों पर बनने वाले इन कुंडों और चेंजिंग रूम का प्रयोग खिड़किया घाट पर सफल रहा तो इसे काशी के स्नान वाले दूसरे घाटों पर भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिये ललिता, दशाश्वमेध, असी, पंचगंगा, तुलसी घाट सहित अन्य घाटों पर इस तरह के कुंड के निर्माण के लिये अध्ययन कराया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी की ओर से 34 करोड़ रुपए से खिड़किया घाट को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार राज्य में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये अगले पाँच वर्षों में सभी 75 ज़िलों में उत्कृष्टता केंद्र और मिनी उत्कृष्टता केंद्र/हाई-टेक नर्सरी स्थापित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- बहराइच, अंबेडकर नगर, मऊ, फतेहपुर, अलीगढ़, रामपुर और हापुड़ में सरकार द्वारा स्थापित ये हाई-टेक नर्सरी पहले ही चालू हो चुकी हैं जबकि चंदौली, कौशांबी, सहारनपुर, लखनऊ, कुशीनगर और हापुड़ में उत्कृष्टता केंद्र निर्माणाधीन हैं।
- फलों और सब्ज़ियों के लिये क्रमश: बस्ती और कन्नौज में इंडो-इज़राइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है ताकि किसानों को गुणवत्तायुक्त पौधे मिल सकें।
- वहीं सोनभद्र, मुरादाबाद, आगरा, संत कबीर नगर, महोबा, झाँसी, बाराबंकी, लखनऊ, चंदौली, गोंडा, बलरामपुर, बदायूँ, फिरोज़ाबाद, शामली और मिर्ज़ापुर में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस/हाई-टेक नर्सरी निर्माणाधीन हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों की खेती के क्षेत्र को6 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने तथा फलों, सब्ज़ियों और मसालों के प्रसंस्करण के साथ-साथ समग्र उपज बढ़ाने के लिये खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- उल्लेखनीय है कि पिछले पाँच वर्षों में फूलों और सब्ज़ियों की पैदावार बढ़ाने के लिये 177 हेक्टेयर में पॉली हाउस/शेड नेट का विस्तार किया गया है, जिससे 5,549 किसान लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2022 को कालीबेरी खान दुर्घटना में मृतक आश्रित बीमित परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत कर योजना का पहला प्रकरण जोधपुर में निस्तारित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इया योजना के तहत पंजीकृत राज्य के परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेगा।
- योजना के तहत लीवर, हार्ट, किडनी, बोनमेरो ट्रांसप्लांट और कॉकलियर इंप्लांट जैसे महँगे इलाज भी नि:शुल्क उपलब्ध हैं।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2022-23 में 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजन'की घोषणा की गई थी, जिसे 1 मई, 2022 से लागू किया जा रहा है।

नोट :

आमागढ़ लेपर्ड रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री निवास से आमागढ़ लेपर्ड रिज़र्व का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित आरक्षित वन खंड आमागढ़ 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ वन क्षेत्र है। प्रदेश के पहले लेपर्ड रिज़र्व झालाना व नाहरगढ़ अभयारण्य के मध्य में स्थित होने के कारण यह वन्य जीव संरक्षण एवं कॉरिडोर विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- इस वन क्षेत्र में लगभग 15 लेपर्ड हैं, इसके अलावा माँसाहारी वन्य जीवों में मुख्यत: हायना, जैकाल, जंगली बिल्ली, लोमड़ी व सीवेट कैट हैं। शाकाहारी वन्य प्राणियों में साँभर, नीलगाय, खरगोश आदि वन्य प्राणी हैं।
- यह वन क्षेत्र एक उष्णकटिबंधीय, मिश्रित/पतझड़ /मानसूनी वन क्षेत्र है। यहाँ मुख्यत: रेतीले प्लेन एरिया में टोटलिस, कुमठा, खेजड़ी पहाड़ी की ढलान पर धौंक, सालर, गोया खैर आदि वनस्पतियाँ मौजूद हैं।
- गौरतलब है कि विभाग द्वारा प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में किये गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2017 के पश्चात् झालाना लेपर्ड रिज़र्व में लगातार लेपर्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्ष 2018 में जहाँ लेपर्ड्स की संख्या करीब 20 थी, वहीं वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र में लेपर्ड्स की कुल संख्या करीब 40 है।

बटागुर कछुआ

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2022 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर टर्टल सर्वाइवल एलायंस (टीएसए) के प्रोजेक्ट ऑफिसर पवन पारीक ने बताया कि दुनिया में विलुप्ति की कगार पर पहुँच चुके बटागुर कछुओं की संख्या बढ़कर 500 हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- पारीक ने बताया कि बटागुर कछुओं में साल और ढोर प्रजाति शामिल हैं। दोनों ही प्रजाति के कछुए चंबल नदी में पाए जाते हैं।
- गौरतलब है कि चंबल नदी में कछुओं की आठ प्रजातियाँ संरक्षित हो रही हैं, जिनमें साल, ढोर, सुंदरी, मोरपंखी, कटहवा, भूतकाथा, स्योत्तर, पचेड़ा शामिल हैं।
- वर्ष 2008 में टर्टल सर्वाइवल एलायंस ने चंबल में कछुओं के संरक्षण पर काम शुरू किया था। टर्टल सर्वाइवल एलायंस की टीम इटावा और बाह रेंज से नेस्टिंग सीजन में अंडों को एकत्रित कर गढ़ायता कछुआ संरक्षण केंद्र में रखती है। तत्पश्चात् दोनों रेंज के जिन घाटों से अंडे एकत्रित किये जाते हैं, वहीं कछुए छोड़ दिये जाते हैं। पारीक के अनुसार इस साल 311 नेस्ट हैचरी में थे।
- बटागुर कछुओं की आबादी में तेज़ गिरावट बाढ़, नदी किनारे पर कछवारी, चोरी-छिपे होने वाले खनन और मछली पकड़ने को डाले गए जाल में फँसने से होने वाली मृत्यु तथा मांस और शक्तिवर्धक दवाओं के लिये होने वाली तस्करी आदि के कारण हुई है।
- इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

गंगा के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देगी सरकार

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2022 को राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने नदी के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों को जैविक उर्वरकों के साथ बदलने की योजना बनाई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत 27 ज़िलों (जहाँ से होकर गंगा बहती है) के दोनों किनारों पर 10 किमी. के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार ने अगले छह महीनों में 27 ज़िलों में 503 स्थानों पर फैले गंगा तट के साथ 6,759 हेक्टेयर में वनीकरण का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि कासगंज और कुछ अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान पहले ही शुरू किया जा चुका है।
- राज्य सरकार ने न केवल गंगा के किनारे, बल्कि उसकी सहायक नदियों के किनारे भी सघन वनरोपण अभियान की योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य गंगा तट और उसकी सहायक नदियों के किनारे औषधीय, दुर्लभ और पारंपरिक पौधों को लगाना है।
- इससे न केवल वन क्षेत्र बढ़ाने और जलवायु में सुधार करने में मदद मिलेगी, बल्कि मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सकेगा तथा इन क्षेत्रों में बाढ़ की गंभीरता को कम किया जा सकेगा।
- जैविक खेती में उपज बढ़ाने और मिट्टी की रक्षा के लिये रासायनिक उर्वरकों और ज़हरीले कीटनाशकों को पूरी तरह से जैविक खाद से बदल दिया जाता है। चूँकि गंगा के मैदान की मिट्टी हर साल बाढ़ के कारण बदल जाती है, इसलिये पूरे बेसिन में जैविक खेती की काफी संभावनाएँ हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत में गंगा के मैदान का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नदी बिजनौर, बदायूँ, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाज़ीपुर सहित राज्य के 27 ज़िलों से होकर बहती है।

उत्तर प्रदेश सरकार को मिला 'माइन मित्र' से 400 करोड़ रुपए का राजस्व

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने पोर्टल 'माइन मित्र' के माध्यम से खनन व्यवसाय से 400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

प्रमुख बिंदु

- 'माइन मित्र' पोर्टल का उपयोग खनिज प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से ट्रांजिट पास जारी करने के लिये किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा खनन व्यवसाय में पारदर्शिता लाने, अवैध गतिविधियों की जाँच करने और आम लोगों, किसानों, पट्टेदारों और ट्रांसपोर्टरों को जवाबदेह ई-सेवाएँ प्रदान करने के लिये 'माइन मित्र' पोर्टल विकसित किया गया है।
- पोर्टल का उद्देश्य खनन उद्योग में एकाधिकार को समाप्त करना, कानूनी खनन को प्रोत्साहित करना, व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु नए उद्यमियों के लिये एक समान अवसर प्रदान करना है।
- इस पोर्टल को भूविज्ञान और खनन निदेशालय के परामर्श से विकसित किया गया है। वर्तमान में यह पट्टेदारों, स्टॉकिस्टों और ट्रांसपोर्टरों के लिये ऑनलाइन खनिज प्रबंधन, नागरिकों और किसानों के लिये सेवाएँ, एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली और उपभोक्ताओं एवं आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'मिनरल मार्ट' जैसी कई सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

उत्तर प्रदेश बजट 2022-23

चर्चा में क्यों ?

26 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा 6,15,518.97 करोड़ रुपए का बजट (उत्तर प्रदेश बजट 2022-23) पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- यह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है, वहीं प्रदेश के संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दोनों कार्यकाल मिलाकर पाँचवी बार बजट पेश किया है।

नोट :

- इस बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी लोक कल्याण संकल्प-पत्र के 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को शामिल किया गया है, जबकि 44 संकल्प नए हैं। इन संकल्पों को पूरा करने के लिये बजट में 54,883 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है।
- बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाएँ शामिल की गई हैं।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,24,477 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
- इस वित्तीय वर्ष में 5,90,951.71 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान है। इसमें 4,99,212.71 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियाँ, जबकि 91,739 करोड़ रुपए की पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।
- इस वित्तीय वर्ष में कुल 6,15,518.97 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है। इसमें 4,56,089.06 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का खर्च है, जबकि 91,739 करोड़ रुपए पूँजी लेखे का व्यय है।
- सरकार के अनुसार 24,567.26 करोड़ का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 6000 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं। वहीं पूरे लेन-देन के बाद 18,567.26 करोड़ रुपए ऋणात्मक अनुमानित है।
- राजस्व बचत 43,123.65 करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं राजकोषीय घाटा 81,177.97 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 96 प्रतिशत है।
- बजट घोषणा के कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदु-
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को वर्ष में 2 रसोई गैस सिलिंडर (होली एवं दीपावली पर) मुफ्त देने हेतु 3301.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों के लिये भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की घोषणा की गई है।
- किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य।
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- महिला पुलिस बटालियन के गठन व विकास के लिये बजट का प्रावधान है एवं प्रदेश के 8 मंडल में एंटी करप्शन यूनिट की स्थापना की व्यवस्था की गई है।
- पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिये 18,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिये 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिये 897 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- बाढ़ नियंत्रण के लिये 2700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
- नमामि गंगे में जल जीवन मिशन के लिये 19,500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तावित है।
- ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिये 695.34 करोड़ रुपए का तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिये 511.93 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्ट्री, 2022 के विशेष अंक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

27 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्ट्री, 2022 के विशेष अंक का विमोचन किया। यह मीडिया डायरेक्ट्री नेशनल मीडिया क्लब की ओर से प्रकाशित की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस तरह की डायरेक्ट्री का प्रकाशन पहली बार हुआ है। हालाँकि इससे पहले भी यह प्रकाशित की गई थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत पूरे देश के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के नंबर इसमें शामिल किये गए हैं।
- इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज़िला स्तर के अधिकारियों और पत्रकारों समेत पुलिसवालों के कॉन्टैक्ट नंबर इसमें लिखे गए हैं।
- नेशनल मीडिया क्लब के संस्थापक रमेश अवस्थी ने कहा कि डायरेक्ट्री में केंद्रीय मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल, विधायक, विधानपरिषद के सदस्यों, राज्य मुख्यालय पर तैनात सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों हर किसी के संपर्क नंबर हैं।
- इसमें प्रदेश के हर ज़िलों के थानों के नंबर भी मौजूद हैं, जिससे किसी भी घटना पर सीधे संबंधित थाने के अधिकारी से बात कर सकते हैं।
- गौरतलब है कि बीते वर्षों में सूचना विभाग, जिस सूचना डायरी का प्रकाशन करता था, उसमें ज़िले स्तर तक की जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी। यह डायरेक्ट्री बहुत ही लाभदायक होगी।

बस्ती का नाम होगा 'वशिष्ठ नगर'

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की ज़िलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि बस्ती का नाम बदलकर महर्षि वशिष्ठ के नाम पर 'वशिष्ठ नगर' करने का प्रस्ताव राजस्व परिषद को पुन: भेजा गया है।

प्रमुख बिंदु

- डीएम सौम्या अग्रवाल ने बताया कि ज़िले के सभी विभागों से सहमति प्राप्त करने के बाद बस्ती ज़िले का नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
- उन्होंने बताया कि ज़िले का नाम बदलने पर आने वाले खर्च सभी विभाग मिलकर वहन करेंगे। इसके लिये कोई अतिरिक्त शासकीय व्यय नहीं होगा। इस आशय की रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग ने भी दी है।
- प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि रामायण काल में बस्ती में भगवान श्रीराम के कुलगुरू महर्षि वशिष्ठ का आश्रम होने के कारण इसका नाम वशिष्ठी था। यहाँ स्थित मखौड़ा धाम में राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था।
- इससे पहले 16 नवंबर, 2019 को तत्कालीन ज़िलाधिकारी आशुतोष निरंजन की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया। नाम बदलने पर होने वाले व्यय के बारे में परिषद ने जानकारी मांगी तो एक करोड़ का भारी-भरकम खर्च बता दिया गया, जिससे यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई और यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया।
- उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद और फैज़ाबाद का नाम बदले जाने के बाद वर्ष 2019 में बस्ती ज़िले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने की माँग ज़ोर पकड़ने लगी थी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में खुले मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर करने की घोषणा की तो इसे और बल मिल गया।
- बस्ती ज़िले का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्त्व है। प्राचीन काल में यह कोसल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1865 में इसे गोरखपुर से अलग करके ज़िला बनाया गया और वर्ष 1997 में इसे मंडल बनाया गया।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो भी व्यक्ति अनुपयोगी हो गए पशु को छोड़ेगा, उसके विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अधिनियम का उद्देश्य 'जानवरों को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना' है, जिसके लिये अधिनियम में जानवरों के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना की गई थी।
- यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करने के साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये जानवरों पर प्रयोग (experiment) से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- यह अधिनियम 3 महीने की सीमा अवधि प्रदान करता है, जिसके बाद इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिये कोई अभियोजन नहीं होगा।

दृष्टि The Vision

नोट :